रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253750 SG-DL-E-19042024-253750

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] No. 122] दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946 DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 18 [N. C. T. D. No. 18

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल,, 2024

फा. सं. 50(8) / डीसी / स्था. / 2023 / DS/HFW/03—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3532 के साथ पिठत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना संख्या फा. 53 / 144 / 94—स्वा. एवं पिर. कल्या. / 4070 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, एतद् द्वारा औषिध नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
 - (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2574 DG/2024 (1)

- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धित, आयु—सीमा, योग्यताएं इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- **4. अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव :— इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>अनुसूची</u> औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (फार्माकोलॉजी)				
2.	पदों की संख्या	:	02 (2024)				
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।				
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ख				
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	6				
			अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35400—112400 / —)				
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर–चयन पद	:	लागू नहीं				
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं				
			(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।)				
			6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।				
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक	:	अनिवार्य				

	तथा अन्य योग्यता		योग्यता :	अनुभव :	
			(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्माकोलॉजी / शरीर विज्ञान / प्राणी विज्ञान / फार्मेसी में स्नातकोत्तर उपाधि;		
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।		
			अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा किसी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि;		
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से औषधि के फार्माकोलॉजीकल परीक्षण के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव।		
			वांछनीय		
			योग्यता :	अनुभव :	
			लागू नहीं	लागू नहीं	
			योग्यता संबंधी मानक टीप :	अनुभव संबंधी मानक टीप :	
			लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।	यदि चयन की किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने हेतु, अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित	:	आयु : लागू नहीं		
	शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं		
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02		
			अभ्युक्ति :		

			टीप :			
			सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए कम—से—कम 02 सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।			
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	:	पद्धति	प्रतिशत		
	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा		सीधी भर्ती	100 प्रतिशत		
	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		 ਟੀਧ :			
	का प्रातशत		टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी— (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर—5 में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम ७ के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।			
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है ।	:	लागू नहीं मानक टीप : लागू नहीं			
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति		
			लागू नहीं	 अपर मुख्य सचिव (गृह) / प्रधान सचिव (गृह) – अध्यक्ष विभाग के प्रशासनिक सचिव – 		
				सदस्य		
				3. विशेष / अपर सचिव (शह0वि०) — सदस्य		

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक	:	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं हैं।
	सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।		

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, अरविंद कुमार, उप—सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT.

NOTIFICATION

Delhi, the 15th April, 2024

F. No. 50(8)/DC/Estt./2023/DS/HFW/03—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of this Government's Notification No. F. 53/144/94-H&FW/4070 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant (Pharmacology) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Senior Scientific Assistant (Pharmacology) Recruitment Rules, 2024
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.
- **4. Disqualification-**No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE ules for the post of Senior Scientific Assistant (Pharmacology) in the Drugs Control Department

$Recruitment\ Rules\ for\ the\ post\ of\ Senior\ Scientific\ Assistant\ (Pharmacology)\ in\ the\ Drugs\ Control\ Department,$
Government of National Capital Territory of Delhi

Name of Post	Number of Posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post/Non- Selection Post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Scientific Assistant (Pharmacology)	02 (2024) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B	Remark: Level 6 (Rs. 35400- 112400) in the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) 6(a) Crucial description: The crucial date for determining the agelimit shall be as advertised by the Competent Authority

Educational and other Qualification		Whether age	Period of	Method of Recruitme	ent, whether
required for Direct Recruits		&Educational	probation, if	by direct recruitm	ent or by
-		Qualifications	any	promotion of	r by
		prescribed for		deputation/absorption &	
		direct		percentage of the pos	ts to be filled
		recruitment		by various me	thods
		will apply in			
		the case of			
		promotees			
	7	8	9	10	
Ess	sential	Age: NA	02	Method	Percentage
		Edu. Qual:			
Qualification:	Experience:	NA	Remark:		
(A)(i) Post			Note: There	Direct recruitment	100%
Graduate Degree			shall be a		
in Pharmacology/			mandatory	Note: Vacancies	
Physiology/			induction	caused by the	
Zoology/			training of at	incumbent being	
Pharmacy from a			least two	away on deputation	
Recognized			weeks	or long illness or	
University or			duration for	study leave or under	
Institute;			successful	other circumstances	
			completion of	for duration of one	
(ii) One Year			the probation	year or more may be	
Experience in the			as prescribed	filled on deputation	
field of			by the	basis from officers	
Pharmacological			Competent	of Central	
testing of Drugs			Authority	Government. (a) (i)	
from a recognised				holding analogous	
Institution				posts on regular	

OR			basis; or (ii) with 06 years regular service
(B)(i) Bachelor			in posts in Level 5
Degree in			of the pay matrix;
Pharmacy or			and (b) possessing
Bachelor Degree in			the qualifications
Science with			and experience
Chemistry or			prescribed for direct
Botany or Zoology			recruits under
as one of the			Col. 7.
subjects from a			
Recognized			
University or			
Institute;			
(ii) Three years			
Experience in the			
field of			
Pharmacological			
testing of Drugs			
from a recognised Institution			
	irable		
Qualification: NA	Experience: NA		
Qualification	Experience		
Standard Note	Standard Note		
Qualifications are	The qualification(s)		
relaxable at the	regarding experience		
discretion of the	is/ are relaxable at		
S.S.C./ Competent	the discretion of the		
Authority, for	S.S.C./ Competent		
reasons to be	Authority, for		
recorded in	reasons to be		
writing, in the case of candidates	recorded in writing in the case of candidates		
otherwise well	belonging to		
qualified	Scheduled Castes or		
quannou	Scheduled Tribes if		
	at any stage of		
	selection the S.S.C./		
	Competent		
	Authority, is of the		
	opinion that		
	sufficient number of		
	candidates from these		
	communities		
	possessing the		
	requisite experience are not likely to be		
	available to fill up		
	the vacancies		
	reserved for them		

In case of Recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departme	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	
11		13	
Not Applicable	Departmental Promotion Committee	Consultation with UPSC is not necessary	
Standard Note:	NA	1. Addl Chief Secretary (Home) / Pr. Secretary (Home) (Chairman)	Ž
NA	IVA	Administrative Secretary of the Department (Member) Special/ Addl Secretary (UD) (Member)	

By order and in the name of the Lt. Governor, Delhi ARVIND KUMAR, Dy. Secry. (H&FW)